छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक एफ 9–3/2001/1–3

रायपुर, दिनांक 24/06/2009

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल, बिलासपुर,
समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर्स,
छत्तीसगढ़

विषय :– अन्य पिछड़े वर्गों (O.B.C.) के उम्मीदवारों को जारी किए जाने वाले प्रमाण–पत्र ''क्रीमीलेयर'' के संबंध में निर्धारित मापदण्ड में संशोधन।

संदर्भ :– सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. एफ 7–26/93/आ.प्र./एक, दिनांक 30.07.1999 एवं समसंख्यक परिपत्र दिनांक 06.07.2000

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित परिपत्रों द्वारा पिछड़े वर्गों के संबंध में सम्पन्न वर्ग (क्रीमीलेयर) दर्जे के निर्धारण हेतु पूर्व निर्धारित आय सीमा में वृद्धि करते हुए आय सीमा रूपये 2 लाख नियत की गई थी।

2/ भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालयीन ज्ञापन क्र. 36033/3/2004–स्था.(आरक्षण), दिनांक 14 अक्टूबर, 2008 द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों में सम्पन्न वर्गों (क्रीमीलेयर) का निर्धारण करने के लिए आय सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर 4.5 लाख किया गया है।

3/ अतः राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य में भी अन्य पिछड़े वर्गों के संबंध में सम्पन्न वर्ग (क्रीमीलेयर) के निर्धारण हेतु वर्तमान निर्धारित आय सीमा 2.00 लाख प्रतिवर्ष से बढ़ाकर रूपये 4.50 लाख (रूपये चार लाख पचास हजार) प्रतिवर्ष निर्धारित की जाए। तदनुसार, सामान्य प्रशासन विभाग के

क्रमशः 2

परिपत्र क्र. एफ 7–16/2000/आ.प्र./एक, दिनांक 06.07.2000 में अनुसूची के अनुक्रमांक 6 आय/सम्पत्ति आंकलन भाग (क) में अब निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–

पूर्व निर्धारित मापदण्ड			संशोधित मापदण्ड		
क्र. (1)	प्रवर्ग का वर्णन (2)	अपवर्जन किस नियम पर लागू होगा (3)	क्र. (1)	प्रवर्ग का वर्णन (2)	अपवर्जन किस नियम पर लागू होगा (3)
6	आय/सम्पत्ति आंकलन	निम्नलिखित के पुत्र तथा पुत्रियाँ :–	6	आय/सम्पत्ति आंकलन	निम्नलिखित के पुत्र तथा पुत्रियाँ :–
		(क) ऐसे व्यक्ति, जिनकी कुलवार्षिक आय पिछले लगातार तीन वर्षो से रूपये 2.00 लाख (रूपये दो लाख) या उससे अधिक है या जिनके पास पिछले तीन वर्षो से इतनी सम्पत्ति है, जो धनकर अधिनियम में दी गई छूट की सीमा से अधिक है।			(क) उन व्यक्तियों के पुत्र और पुत्रियां, जिनकी लगातार तीन वर्षो तक की कुल वार्षिक आय 4.50 लाख रूपये (रूपये चार लाख पचास हजार) या उससे अधिक है, अथवा धनकर अधिनियम में यथा निर्धारित छूट सीमा की अधिक की सम्पत्ति रखते हैं (ख) श्रेणी I, II, III, और V--क, में आने वाले ऐसे व्यक्ति जो आरक्षण का लाभ पाने के हकदार है, परन्तु जिनकी अन्य श्रोतों से आय अथवा सम्पत्ति जो उन्हें उपर्यक्त (क) में उल्लेखित आय/सम्पत्ति के मानदण्ड के भीतर लाएगी, के पुत्र और पुत्रियों। **स्पष्टीकरण** वेतन अथवा कृषि भूमि से प्राप्त आय को संयुक्त रूप से नहीं जोड़ा जाएगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के.आर. मिश्रा)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

24-6-09

पृ0क्रमांक एफ 9–3/2001/1–3 रायपुर, दिनांक 24/06/2009

प्रतिलिपि :–

01. राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर,
02. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर,
03. सदस्य सचिव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, त्रिकूट–1 भीकाजी काम्प्लेक्स, नई दिल्ली,
04. निदेशक, भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
05. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, रायपुर,
06. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर,
07. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर,
08. विशेष सहायक/निज सहायक, मुख्यमंत्री/ मंत्री/राज्यमंत्रीगण, छत्तीसगढ़,, रायपुर,
09. सचिव, लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर,
10. सचिव, राज्य निर्वाचन पदाधिकारी, रायपुर
11. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर,
12. महालेखाकार छत्तीसगढ़ रायपुर,
13. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन नई दिल्ली,
14. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, छत्तीसगढ़ रायपुर,
15. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक आयोग रायपुर,
16. उप सचिव, महाधिवक्ता कार्यालय, उच्च न्यायालय परिसर, बिलासपुर,
17. कुल सचिव, समस्त विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़,
18. अवर सचिव (स्थापना)/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्यलेखाधिकारी, मंत्रालय रायपुर,
19. अनुभाग अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, कक्ष–6 मंत्रालय, रायपुर की ओर वेबसाईट **www.cg.nic.in/gad** पर अपलोड हेतु

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(हस्ताक्षर)

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग
24-6-09